दैनिक भास्कर

पटना, शनिवार 8 फरवरी, 2020

450 से ज्यादा खरीदारों ने दर्ज कराई है शिकायत

अग्रणी होम्स के निदेशकों से रेरा ने मांगा संपत्ति का ब्योरा

पटना | रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने अग्रणी होम्स के सभी निदेशकों को अपनी सभी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा एफडेविट कर जमा करने का निर्देश दिया है। रेरा की फुल बेंच ने कंपनी के एमडी और डायरेक्टर को पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी को राजधानी के पाटलिपुत्र में बेची गई जमीन के पूरे कागजात जमा करने को कहा गया है। हालांकि गुरुवार की फुल बेंच की सुनवाई में अग्रणी प्रबंधन ने कहा कि रुबन हॉस्पिटल को बेची गई अपनी बिल्डिंग से मिली 2 करोड़ की राशि में से 1.40 करोड़ 17 शिकायतकर्ताओं को दिए हैं। दरअसल अग्रणी होम्स के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके 450 से ज्यादा खरीदारों ने शिकायत दर्ज कराई है।